

बउनवान

सरकार जयें धीरज कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां)

( प्रार्थी )

बनाम

श्री इमरान पुत्र मोहम्मद इन्साफ, निवासी बारां



( अप्रार्थी )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत  
उपस्थिति :- 1. पेरोकार रसद

( प्रार्थी )

निर्णय दिनांक 26.05.2025


प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यावसायिक दुरुपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी हमराह श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, श्री सन्तोष कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, मांगरोल रोड बारां स्थित होटल हयात बारां पर पहुंचे। मौके पर इमरान पुत्र मोहम्मद इन्साफ, निवासी बारां, उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के बिन्दु संख्या 3,4,5 व 7 का उल्लंघन पाये जाने पर चार घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स राज एचपी गैस एजेन्सी बारां की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हुआ परन्तु दौरान कार्यवाही स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद की सुनी गई।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा चार गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया हम बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों से पूर्णतया सहमत हैं तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।




  
जिला कलक्टर  
बारां (राज0)

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां निर्देश दिये जाते हैं कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर D-2516.3, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 296577T, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 153453, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 412285 T का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्वोरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रूपये यानि एक गैस सिलेण्डर की कुल 2500/- रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स राज एचपी गैस एजेन्सी बारां को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



  
( रोहितश्व सिंह )  
जिला कलेक्टर  
बारां (राज.)